बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
निविदा सूचना

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के दैनिक कार्यो के व्यवहारार्थ एवं विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट सोसायटी के कार्यालय व्यवहारार्थ भाड़े के वाहन की आवश्यकता है। अतः इस हेतु इच्छुक वाहन मालिकों/आपूर्तिकर्त्ताओं से मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है :–

1. वाहन का मासिक किराया सभी प्रकार के कर इत्यादि सहित अंकित करना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी कर या शुल्क अलग से नही दिया जायेगा।
2. वाहन स्कॉर्पियो/टाटा सूमो/बोलेरो/सफारी में से कोई होना चाहिए, जो डीजल चालित हो। साथ ही वाहन अच्छी हालत में होनी चाहिए।
3. इस वाहन की मरम्मति एवं दैनिक रख–रखाव पर होने वाले तेल एवं चालक पर व्यय वाहन मालिक द्वारा ही वहन किया जाएगा। अधिकतम 60 किलोमीटर प्रतिदिन के परिचालन के लिए कोई भी राशि वाहन मालिक को देय नही होगी। 60 किलोमीटर से अधिक वाहन परिचालन होने की स्थिति में **निर्धारित दर पर अलग से भुगतान किया जाएगा।**
4. वाहन को उपयोग हेतु 24 घंटा निदेशालय/बी0पी0एम0यू0 कार्यालय में उपलब्ध रहना होगा। सेवा संतोषजनक नही होने पर एकरारनामा समाप्त कर दिया जाएगा एवं पैनल में उपलब्ध अन्य वाहन मालिकों से वाहन लिया जाएगा। भाड़े पर वाहन का उपयोग भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/बी0पी0एम0यू0 कार्यालय में आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
5. निविदा के साथ 10000/= (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही रोड टैक्स का अद्यतन भुगतान आवश्यक है।
6. निविदा में वाहन का निबंधन संख्या, रोड टैक्स एवं क्रय के वर्ष का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य होगा। साथ ही वाणिज्यक निबंधन अनिवार्य है। यदि वाणिज्यिक निबंधन नही है तो एक माह के भीतर निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
7. निविदा पर गाड़ी लेने से पूर्व गाड़ी के फिटनेस संबंधी जाँच एम0भी0आई0 के सदस्य द्वारा की जाएगी।
8. आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्त्ति किये गये वाहन में खराबी होने पर तुरन्त दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। वे ऐसा नही करते है तो जितने दिन वाहन की खराबी अथवा चालक की अनुपस्थिति के कारण उपयोग में नही लाया जा सकेगा, उतने दिनों के लिए अनुपातिक भाड़े का भुगतान नही किया जाएगा।

9. निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दर पर यदि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा वाहन उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की जाएगी तब वैसी परिस्थिति में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को प्राथमिकता दी जाएगी।

10. प्राप्त निविदा का मूल्यांकन निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

11. निविदा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना – 800015 के कार्यालय में दिनांक 25.05.2015 के 03:00 बजे अपराह्न तक जमा करना होगा एवं दिनांक 25.05.2015 को 05:00 बजे अपराह्न को निविदा खोली जाएगी। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

12. निविदा को बिना कारण बताये किसी समय अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के पास सुरक्षित होगा।

13. विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट www.lrc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

(सुशील कुमार)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय
मुख्य सचिवालय, पटना – 800015
दूरभाष संख्या – 0612–2217108
फैक्स संख्या – 0612–2217107